को पेश हो।

21/6/22 पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष उप० वादीगण का वादपत्र अन्तर्गत धारा 88 89 90 92A 188 RTA स्वीकार किया जाता है विस्तृत निर्णय पृथक से किया जाकर शामिल मिसल है पत्रावली फैसल शुदा होकर दाखिल दफ्तर हो नकल से मुक्त हो।